कार्यालय आयुक्त
Office of the Commissioner
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर अंकेक्षण आयुक्तालय जयपुर
Central Goods & Service Audit Commissionerate Jaipur
नव केन्द्रीय राजस्व भवन ,स्टेचू सर्किल ,सी-स्कीम जयपुर-302005
New Central Revenue Building, Statue Circle, C-Scheme, Jaipur-302005
(E Mail Id: commradt-cexjpr@nic.in)

सुरक्षा सम्बन्धी कार्यों हेतु ई–निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति महोदया की ओर से वर्ष 2026–27 (01.04.2026 से 31.03.2027) के लिए निम्नलिखित भवनों की Round the Clock (24*7) सुरक्षा के लिए अनुभवी सुरक्षाकर्मी उपलब्ध करवाने के लिए पंजीकृत सुरक्षा सेवाप्रदाता संस्थाओं से Online GeM द्वारा निविदाएं आमंत्रित की जाती है। पंजीकृत सेवाप्रदाता को इस क्षेत्र में 03 वर्ष का अनुभव होना चाहिए :–

क्र.सं.	भवन का पता
1.	सी.जी.एस.टी. अंकेक्षण वृत अ एवं ब, प्रथम एवं द्वितीय तल बी.एस.एन.एल. टेलिकॉम एक्सचेंज दुर्गापुरा, टोंक रोड, जयपुर ।
2.	सी.जी.एस.टी. अंकेक्षण वृत, ढाभा काम्प्लेक्स, फूल बाग, भिवाडी ।

निविदा प्रपत्र एवं शर्तो का विवरण GeM पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है।

इस कार्यालय को किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओ को, बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इस विज्ञप्ति में किसी भी संशोधन/बदलाव का प्रकाशन केवल विभागीय वेबसाइट http://cgstjaipur.gov.in/ अथवा GeM पोर्टल पर ही जारी किया जायेगा।

Digitally signed by
Rajesh Agarwalla
Date: 18-02-2026
14:42:41
(राजेश अगरवाला)
सहायक आयुक्त (प्रशासन)

प्रति:-
1. अधीक्षक(कंप्यूटर), केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
2. नोटिस बोर्ड ।

अनुलग्नक 'अ'

(अ) कार्यालय का पूर्ण पता, उपलब्ध करवाये जाने वाले सुरक्षाकर्मियों की संख्या आदि का विवरण –

भारत के राष्ट्रपति महोदया की ओर से वर्ष 2026–27 (01.04.2026 से 31.03.2027) के लिए निम्नलिखित भवनों की Round the Clock (24*7) सुरक्षा के लिए अनुभवी सुरक्षाकर्मी उपलब्ध करवाने के लिए पंजीकृत सुरक्षा सेवाप्रदाता संस्थाओं से Online GeM द्वारा निविदाएं आमंत्रित की जाती है। कार्यालय का पूर्ण पता निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	भवन का पता जहां सुरक्षाकर्मी उपलब्ध करवाये जाने है	उपलब्ध करवाये जाने वाले सुरक्षाकर्मियों की संख्या
1.	सी.जी.एस.टी. अंकेक्षण वृत अ एवं ब, प्रथम एवं द्वितीय तल बी.एस.एन.एल. टेलिकॉम एक्सचेंज दुर्गापुरा, टोंक रोड, जयपुर ।	03
2.	सी.जी.एस.टी. अंकेक्षण वृत, ढाभा काम्प्लेक्स, फूल बाग, भिवाडी ।	03
	कुल संख्या	06

अनुलग्नक 'ब'

(ब) निविदा प्रक्रिया –

1. निविदा दो भागों में स्वीकार की जाएगी – (1) तकनीकी निविदा एवं (2) वित्तीय निविदा। तकनीकी निविदा के लिए अनुलग्नक 'क' में एवं निविदा स्वीकृति पत्र (अनुलग्नक 'ख') में निर्धारित प्रपत्र पूर्ण करके अलग–अलग संलग्न करना होगा।

निविदा (तकनीकी एवं वित्तीय) निवेदन केवल GeM पोर्टल पर ऑनलाइन जमा की जाएगी। निविदा अन्य किसी भी माध्यम से स्वीकार नहीं की जायेगी।

योग्य निविदा के लिए शर्तें –

2. निविदाकर्ता को श्रम विभाग, ईएसआई, भविष्य निधि एवं सेवाकर/जीएसटी में पंजीकृत होना चाहिए तथा उसे इस कार्य का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। फर्म का विगत 3 वर्षों में 30 लाख़ का वार्षिक टर्नओवर होना अनिवार्य है। इसके साथ ही निविदा दाता को विगत 3 वर्षों की संबंधित लेखों की प्रति (Balance sheet) एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रमाण पत्र (स्वयं के द्वारा प्रमाणित) तकनीकी निविदा के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है। साथ ही विगत 3 वर्षों की आयकर विवरणी व सेवाकर/जीएसटी विवरणी का निविदा के साथ संलग्न करें। निविदाकर्ता के पास वैध Permanent Account Number (PAN) होना चाहिए। यदि किसी फर्म को कार्यकाल के दौरान किसी सरकारी विभाग द्वारा Blacklisted कर दिया जाता है तथा उसकी अमानत/जमानत राशि जब्त कर ली गयी हो, वह फर्म निविदा भरने योग्य नहीं है।
3. निविदाकर्ता/सेवाप्रदाता के पास सुरक्षा सेवायें प्रदान करने में ISO9001:2015 या नवीनतम अद्यतित प्रमाणित होने सम्बन्धित प्रमाण पत्र की प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करना सुनिश्चित करें।
4. सफल निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध के सफल प्रदर्शन के उद्देश्य से (Performance Security-To ensure due performance of the contract, Performance Security is to be obtained from the successful bidder awarded the contract) ठेके के कुल मूल्य का 05 प्रतिशत का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंक गारंटी Performance Security के तौर पर एक माह के भीतर–भीतर प्रशासनिक अधिकारी (डी.डी.ओ.), केन्द्रीय केन्द्रीय वस्तु व सेवाकर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर के नाम बनवाकर विभाग के पास जमा कराना होगा, जोकि सम्पूर्ण ठेका अवधि के समाप्ति (पूर्ण होने) के पश्चात भी अगले 60 दिनों के लिए वैध होना चाहिए।
5. यदि सफल आवेदक द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर–भीतर कार्य नहीं संभाला जाता है अथवा ठेकाधीन कर्मचारी उपलब्ध नहीं करवा पाता है अथवा Performance Security का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंक गारंटी नहीं जमा करवाता है अथवा अन्य किसी भी कारण से कार्य निष्पादित करने की अनिच्छा लिखित में प्रस्तुत करता है तो संबंधित फर्म को विभाग के द्वारा ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है तथा उसके अगले निम्न उत्तरदायी निविदाकर्ता (Next Lower Responsive Bidder) को उक्त न्यूनतम दर वाले निविदाकर्ता की दरों पर कार्य करने का प्रस्ताव दिया जा सकेगा।
6 निविदाकर्ता को इसमें शामिल नियमों और शर्तों को पढ़ने और समझने के प्रतीक के रूप में इस निविदा दस्तावेजों और इसके साथ संलग्न अन्य सभी संलग्नकों के प्रत्येक पृष्ठ पर डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के साथ हस्ताक्षर और मोहर लगानी होगी और इसे अर्हक बोली के साथ अपलोड करना होगा। निविदाकार इस दस्तावेज़ के अंत में संलग्न अनुबंधों में जानकारी स्पष्ट और सुपाठ्य शब्दों में भरेगा। जहां भी आवश्यक हो, उद्धृत मूल्य अंकों और शब्दों में भी लिखा जाएगा। सभी अनुबंधों पर बोली लगाने वाले या उसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा मुहर और पृष्ठ संख्या के साथ हस्ताक्षर भी करने होंगे।
7. वित्तीय निविदा में दरें अंको व शब्दों दोनो रूपों में स्पष्टतः उल्लेखित होनी चाहिए। अंकों एवं शब्दों में प्रस्तुत दरों में भिन्नता होने पर शब्दों में प्रस्तुत दर को प्राथमिकता दी जाएगी।
8. अपूर्ण भरी हुई निविदाएं या गलत सूचनाएं पाई जाने पर निविदाएं निरस्त कर दी जाएंगी।
9. सफल निविदादाता (फर्म) आदेश प्राप्त होने के 21 दिवस की अवधि के भीतर रू 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प जो कि छः माह से पूर्व का नहीं हो, पर अनुबंध पत्र निष्पादित करना होगा।
10. निविदाकर्ता के खिलाफ भारत के किसी भी पुलिस स्टेशन में कोई पुलिस केस नहीं होना चाहिए। 100 रुपये के स्टैंप पेपर पर एक एफिडेविट (जो टेंडर पब्लिश होने की तारीख से पुराना न हो) या डायरेक्टर/मालिक/फर्म का पुलिस वेरिफिकेशन टेंडर डॉक्यूमेंट्स के साथ सलंगन करना अनिवार्य है।
11. फर्म का ऑफिस/अधीनस्थ ऑफिस जयपुर में होना चाहिए । इस आशय का प्रमाण पत्र तकनिकी निविदा के साथ अपलोड किया जाए ।

12. Technical bids will be evaluated by a Bids Evaluation Committee (BEC) or authority authorized by the Competent Authority of this documents furnished in the Technical bid. Decision of the Competent Authority with regard to acceptability of the Technical bid shall be binding on all the bidders and cannot be challenged. No correspondence in this regard will be entertained.
13. If any firm quotes "Nil" charges/consideration, the bid shall be treated as unresponsive and will not be considered. Service charges should be adequate to meet statutory deductions towards TDS and such other levies laid by Government. In case of the quoted service charge is less than such statutory deductions, then the bid will be summarily rejected.

(ब) निबंधन एवं शर्तें –

1. The agency should have obtained a license from the controlling authority under (a) Section 7(5) of "The Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 [No. 29 of 2005]" OR (b) "Rajasthan Private Security Agencies (Regulation) Rules, 2006".

2. The agency shall ensure that the security personnel deployed, should be experinced (minimum 3 years experience in this field), healthy and not more than 50 years of age. The agency will get their antecedents, character and conduct verified.
3. The full particulars of the personnel to be deployed by the agency including their names and addresses, shall be furnished to the department along with testimonials before they are actually deployed for the job.
4. The agency shall not deploy or shall discontinue deploying the person(s), if so desired by the department at any time without assigning any reason whatsoever.
5. The representative of Agency will carry out periodically inspection of security personnel on duty to ensure discipline and efficiency.
6. The wages paid to the personnel should strictly adhere to the Code on Wages, 2019 and Contract Labour (R & A) Act, 1970. License from Labour Department as per section 12 of Contract Labour (R & A) Act, 1970 should be obtained for the contract work within 7 days of award of contract. Any default would be viewed seriously resulting in cancellation of contract. The agency should ensure that there is no scope for any grievance from the personnel on delayed payment of wages/unlawful deductions.
7. **The agency shall provide reasonably good uniform with name badges to its personnel deployed at <u>its own cost</u> and ensure that they are used by the personnel deployed and are maintained in good condition. The security personnel will work 8 hours per day according to shift system.**
8. The agency shall deploy security guards trained in all facets of security work.
9. The agency shall ensure that any replacement of the personnel, as required by the department for any reason specified or otherwise, shall be effected promptly without any additional cost to the Department. If the agency wishes to replace any of the personnel, the same shall be done with prior concurrence of the Department at agency's own cost.
10. The agency shall ensure that the personnel deployed by it are disciplined and do not participate in any activity prejudicial to the interest of the Department/Government of India/any State/ or any Union Territory.
11. The day to day functioning of the services shall be carried out in consultation with and under direction of the Department. Proposals for efficient functioning of the security systems shall be discussed, considered and implemented from time to time by the agency with approval of the Department.
12. The agency shall be solely responsible for compliance to the provisions of wages, EPF, ESI etc. Relating to personnel deployed by it or for any accident caused to them and the Department shall not be liable to bear any expense in this regard. The agency shall make payment of wages to workers engaged by it by the stipulated date irrespective of any delay in settlement of its bill by the Department for whatever reason. The agency shall also be responsible for the insurance of its personnel. The security agency shall specifically ensure compliance of various Laws/Acts.
13. In case of any theft or pilferages, loss or other offences, the agency will investigate and submit a report to the department and maintain liason with the Police. FIR will be lodged by the Department, wherever necessary. If need be, joint enquiry comprising of both the parties shall be conducted and responsibility fixed.
14. In case of any loss that might be caused to the Department due to lapse on the part of the security personnel discharging security responsibilities will be borne by the agency and in this connection, Department shall have the right to deduct appropriate amount from the bill of contracting agency to make good such loss to the Department besides imposition of penalty. In case of frequent lapses on the part of the security personnel deployed by the contractor, the Department shall be within its right to terminate the contract forthwith or take any other action without assigning any reason whatsoever.
15. In the event of any security personnel being on leave/absent, the agency shall ensure suitable alternative arrangement to make up for such absence.
16. The Security agency shall provide security guards with proper supervision of Jobs in 3 shifts. Security shall be provide round the clock and each shift shall be of 8 hours duration.
17. As and when the Department requires additional security strength on temporary or emergent basis, the agency will depute such security personnel under the same terms and conditions. Similarly, if the security personnel deployed by the agency any time are found absent from duty or sleeping or found engaged in irregular activities, the Department shall deduct the requisite amount at the pro-rata rates from the bill of the agency besides imposition of penalty for non-observance of the terms of contract.
18. The agency shall arrange to maintain at the security desk, the daily shift-wise attendance record of the secuirty personnel deployed by it showing their arrival and departure time. The agency shall submit to the Department an attested photocopy of the attendence record and enclose the same with the monthly bill.
19. The agency shall quote the minimum wages as per the rate applicable at the time of filling the tender. There would be no increase in rates payable to the agency during the contract period.
20. The security personnel deployed by the agency shall have at least the minimum elementary knowledge of reading and writing so as to be able to make entires in the registers kept at the

security desk whenever required and also to write their names in the attendence register and mark their arrival and departure by signing in the register.

21. The decision of the Department in regard to interpretation of the Terms and Conditions and the Agreement shall be final and binding on the agency.
22. In case of any dispute between the agency and the Department, the Department shall have the right to decide.
23. In case if two or more firms quoted same rate in financial bid then contract will be awarded as per the GeM portal.
24. Any violation of instruction/agreement or suppression of facts will attract cancellation of agreement without any reference.
25. The wages paid to the security personnel should strictly adhere to the Minimum Wages Act,1948 & Contract Labour (R&A) Act, 1970 and as prescribed by the O/o the Chief Labour Commissioner(Central).

(स) भुगतान की शर्तें –

1. सेवाप्रदाता प्रतिमाह की पांच तारीख तक आवश्यक रूप से दो प्रतियों में कार्यालय में मासिक बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करेगा। सेवाप्रदाता को आयकर/GST अधिनियम के तहत् प्रचलित टीडीएस की कटौती कर भुगतान किया जाएगा। अधिकृत अधिकारी से संतोषजनक कार्य किए जाने संबंधित प्रमाण पत्र बिल के साथ संलग्न करने पर ही भुगतान किया जायेगा।
2. सेवाप्रदाता द्वारा हर माह पिछले माह की मजदूरी का भुगतान करने के दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
3. यदि किसी कारणवश इस कार्यालय द्वारा मासिक **बिल** का भुगतान समय पर नहीं हो पायेगा तो ऐसी स्थिति में सेवाप्रदाता फर्म को अपने कर्मचारियों का पूर्ण भुगतान करना होगा।
4. सेवाप्रदाता हर माह इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसने प्रत्येक सुरक्षा कर्मी को नियमानुसार तय की गई दरों के हिसाब से वेतन का भुगतान किया है तथा पीएफ/ईएसआई व सेवाकर के प्रावधानों का अनुपालन किया है। उसे समयानुसार पीएफ ईएसआई तथा सेवाकर से सम्बन्धित चालान आदि दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।
5. यदि इस कार्यालय को कोई शिकायत प्राप्त हुई कि सेवाप्रदाता अपने कर्मचारियों को नियमानुसार तय की गई दरों का भुगतान नहीं कर रहा है तो उसके बिल से उनके कर्मचारियों को देय भुगतान की राशि काट कर शेष राशि का भुगतान किया जायेगा।
6. सेवाप्रदाता को, वसूली की जाने वाली राशि की कटौती करके, यदि कोई हो तो, प्रतिमाह फर्म के नाम से क्रास्ड चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट/ऑनलाइन PFMS द्वारा भुगतान किया जाएगा।

मैं/हम उपरोक्त नियमों एवं शर्तों से सहमत हैं।

हस्ताक्षर मय तिथि ....
हस्ताक्षरकर्ता का नाम ....
फर्म का नाम ....
मोहर ....

अनुलग्नक – 'क'

तकनीकी निविदा

सुरक्षा सेवा की निविदा के लिए आवश्यक पूर्व–योग्यता निर्धारण हेतु प्रोफार्मा

01.	फर्म / संस्था का नाम	
02.	डायरेक्टर / पार्टनर / प्रोपराईटर का नाम	
03.	पूर्ण पता एवं दूरभाष / मोबाईल / फैक्स नम्बर	
04.	सम्पर्क व्यक्ति का विवरण (नाम / पता / टेलीफोन नम्बर)	
05.	संस्था का विवरण (क्या फर्म प्रोपराईटरशिप / पार्टनरशिप / कम्पनी है)	
06.	आयकर पैन नम्बर (फोटोप्रति संलग्न करें) **विगत 3 वर्ष (2022-23, 2023-24, 2024-25) की आयकर विवरणिका संलग्न करें**	
07.	सेवाकर / जीएसटी पंजीकरण संख्या (फोटो प्रति संलग्न करें) **विगत 3 वर्ष की सेवाकर / जीएसटी(2022-23, 2023-24, 2024-25) विवरणिका संलग्न करें**	
08.	क्या फर्म कॉन्ट्रेक्ट लेबर (रेग्यूलेशन एण्ड एबोलिशन) एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत एवं अनुज्ञाधारी है (प्रति संलग्न करें)	
09.	**3 वर्ष पूर्व** जारी रीजनल प्रोविडेंट फंड कार्यालय द्वारा आवंटित प्रोविडेटं फंड संख्या (प्रति संलग्न करें)	
10.	**3 वर्ष पूर्व** जारी ईएसआई पंजीकरण संख्या (प्रति संलग्न करें)	
11.	फर्म के आई.एस.ओ. प्रमाणित होने का प्रमाण पत्र संलग्न करें	
12.	ग्त 03 वर्षों **(2022-23, 2023-24, 2024-25)** का अनुभव का विवरण (कृपया सरकारी / पब्लिक अण्डरटेकिंग का कार्यआदेश / सेवा प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
13.	ई.एस.आई., पी.एफ. एवं सेवाकर / जीएसटी के अन्तर्गत फर्म का कोई भी प्रकरण विभाग में लम्बित ना हो का प्रमाण पत्र (रू. 100 / – के नॉन-ज्यूडिशियल स्टैंप पेपर पर जोकि टेंडर पब्लिश होने की तारीख से पुराना न हो।	
14.	अन्य सरकारी / पब्लिक अण्डरटेकिंग जहां वर्तमान में कार्य लिया हो की सूची मय प्रमाण पत्र	
15.	Copy of license from the controlling authority under (a) Section 7(5) of "The Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 [No. 29 of 2005]" OR (b) "Rajasthan Private Security Agencies (Regulation) Rules, 2006"	
16	फर्म को किसी भी सरकारी विभाग द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं किया जाना चाहिए और इस संबंध में एक अंडरटेकिंग 100/- रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टैंप पेपर पर जमा करनी होगी, जो टेंडर पब्लिश होने की तारीख से पुराना न हो।	

मैं / हम प्रमाणित करते हैं कि मेरी / हमारी जानकारी के अनुसार उक्त दी गई सूचनाएं पूर्ण एवं सही हैं। मैं / हम जानते हैं कि उक्त दिए गए विवरण में कोई भी सूचना या विवरण गलत पाया जाता है तो सुरक्षा सेवा के अनुबंध को निरस्त किया जा सकता है, अमानत राशि जब्त की जा सकती है एवं भविष्य में हमें ब्लैक लिस्टेड किया जा सकता है।

हस्ताक्षर मय तिथि ....
हस्ताक्षरकर्ता का नाम ....
फर्म का नाम ....
मोहर ....

निविदाकर्ता द्वारा तकनीकी निविदा के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों को अपलोड किया जाना है :–

1. पैन नं., सर्विस टैक्स पंजीकरण(यदि हो), ईएसआई एवं ईपीएफ पंजीकरण की हस्ताक्षरित एवं स्कैन्ड कॉपी।
2. निविदा प्रस्तुत करने हेतु निविदा स्वीकृति पत्र एवं प्राधिकृत पत्र की हस्ताक्षरित एवं स्कैन्ड कॉपी।
3. एक स्व प्रमाणित प्रमाण पत्र कि एजेन्सी केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / केन्द्र शाषित प्रदेशों द्वारा ब्लैकलिस्टेड नहीं है एवं किसी भी सरकार से किसी भी प्रकार की मुकदमेंबाजी में नहीं है।
2. श्रमायुक्त **से** प्राप्त किये गये श्रम लाइसेन्स की हस्ताक्षरित एवं स्कैन्ड कॉपी।
3. पिछले 3 वर्ष की बैलेंस शीट की हस्ताक्षरित एवं स्कैन्ड कॉपी।
4. तकनीकी निविदा प्रपत्र की हस्ताक्षरित एवं स्कैन्ड कॉपी।

अनुलग्नक -'ख'

UNDERTAKING BY THE BIDDER
बोलीदाता द्वारा वचनबद्धता

1. I ____ Son / Daughter / Wife of Shri ____ and Proprietor / Director / Authorized signatory of ____ am competent to sign this declaration and execute this tender document.

2. I/we undertake that my/our firm M/s …………………………………………………………………………… has not been blacklisted by any Government Department/PSU/Autonomous Body.

3. I have read and understood all the terms and conditions of the tender and undertake to abide by them.

4. The information / documents furnished along with the above application are true and authentic to the best of my knowledge and belief. I / We am/are well aware of the fact that the furnishing of any false / misleading information / fabricated document would lead to rejection of my tender at any stage besides liabilities towards prosecution under appropriate law.

5. I/we understand that in case any deviation is found in the above statement at any stage, my/our concern firm/company shall be blacklisted and shall not have any dealing with the department in future.

दिनांक:

स्थान:

Signature of authorized person Name & Seal

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर नाम एवं मुहर

अनुलग्नक -'ग'

TENDER ACCEPTANCE LETTER
निविदा स्वीकृति पत्र
(TO BE GIVEN ON COMPANY LETTER HEAD)
(कंपनी के लेटर हेड पर दिया जाए)

दिनांक:

To,

The Additional/Joint Commissioner,
Office of the Commissioner,
Central GST Audit Commissionerate,
Jaipur – 302005

Subject: Acceptance of Terms and Conditions of Tender

Tender Reference Number :- ………………………………

Name of Tender/Work:-

Sir,

1. I/we have downloaded/obtained the tender documents for the above mentioned Tender from the website(s) namely: GeM portal & https://cgstjaipur.gov.in/.

as per your advertisement, given in the above mentioned website(s).

2. I/we hereby certify that I/we have read the entire terms and conditions of the tender documents from page No. …….. to ……… (including all documents like Annexure(s), schedules etc.) which form part of the contract agreement and I/we shall abide hereby by the terms/conditions/clauses contained therein.

3. The corrigendum(s) issued from time to time by your department/organization too has also been taken into consideration, while submitting this acceptance letter.

4. I/we hereby unconditionally accept the tender conditions of above mentioned tender documents/corrigendum in its totality/entirely.

5. I/we do hereby declare that our Firm has not been blacklisted /debarred by any Govt. Department/PSU.

6. I/we certify that all information furnished by our Firm is true and correct and in the event that the information is found to be incorrect/untrue or found violated, then your department/organization shall without giving any notice or reason therefore or summarily reject the bid or terminate the contract, without prejudice to any other rights or remedy including the forfeiture of the full said earnest money deposit absolutely.

भवदीय,

Signature of authorized person Name & Seal
अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर नाम एवं मुहर